Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ट)

प्रेस नोट

- **भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा झुंझुनू में सहायक उप निरीक्षक को 15 हजार रूपये रिश्वत लेते किया गिरफ्तार**
- **पी.एच.ई.डी. अधिशाषी अभियन्ता के आवास तलाशी में मिले 13 लाख रूपये नगद एवं करोड़ों रूपये की चल–अचल सम्पतियों के दस्तावेज**

जयपुर, 12 नवम्बर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) सीकर इकाई द्वारा गुरूवार को कार्यवाही करते हुये रामस्वरूप पुत्र श्री लालचन्द, उम्र 59 वर्ष निवासी स्यालुकला पुलिस थाना सूरजगढ जिला झुंझुनू हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस चौकी भौडकी थाना गुढागौडजी, जिला झुंझुनू को 15 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी की सीकर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरी पत्नी के साथ मारपीट होने के उपरान्त मेरे द्वारा पुलिस थाना गुढागौडजी जिला झुंझुनू में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी जिसमें आरोपी स.उ.नि. मुकदमें में मदद करने एवं मेरी पत्नी के 164 सीआरपीसी के तहत बयान करवाने की एवज में 30 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान कर रहा है।

जिस पर एसीबी उप पुलिस अधीक्षक श्री जाकिर अख्तर के नेतृत्व में उक्त मांग का सत्यापन करवाकर आज ट्रेप कार्यवाही करते हुये **रामस्वरूप** पुत्र श्री लालचन्द, उम्र 59 वर्ष निवासी स्यालुकला पुलिस थाना सूरजगढ जिला झुंझुनू **हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस चौकी भौडकी थाना गुढागौडजी, जिला झुंझुनू को 15 हजार रूपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

साथ ही एसीबी महानिदेशक श्री सोनी ने बताया कि आज दिन में एसीबी द्वारा ट्रेप किये गये **पी.एच.ई.डी दूदू के अधिशाषी अभियन्ता श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी में जयपुर स्थित आवास पर 13 लाख रूपये नगद एवं करोड़ों रूपये की चल–अचल सम्पतियों के दस्तावेज मिले है।**

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं. 1064*** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135–02834*** पर सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।